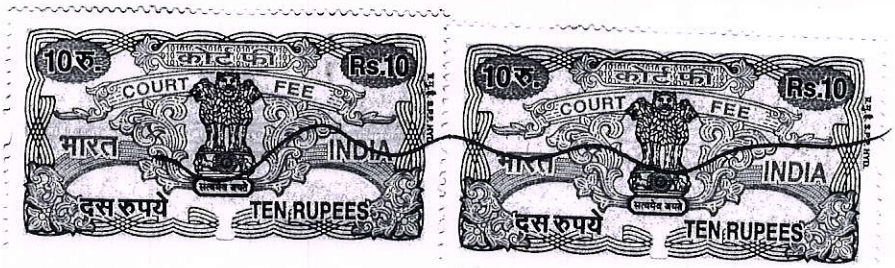

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./2014

R-807-PBR/14

महेश केसवानी, आयु लगभग 36 वर्ष
आत्मज स्व.श्री जानी केसवानी
निवासी - न्यू बी-31, बैरागढ़, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1. पी.जेड. एण्ड कंपनी
   साझेदारी फर्म
   द्वारा साझेदार प्रदीप शर्मा
   आत्मज बिहारीलाल शर्मा
   निवासी - औद्योगिक क्षेत्र, मेन गेट,
   गोविन्दपुरा, भोपाल
2. नारायण सिंह आत्मज स्व.रामचरण
   निवासी - 49, शाहपुर, ग्राम सेवनिया ओंकारा
   तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

याचिका अंतर्गत धारा 8 सहपठित निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 111/अ-6/12-13 संचालित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त चार तहसील हुजूर 10-2-14 जिला भोपाल पक्षकारगण पी.जेड. एण्ड कंपनी विरूद्ध सर्वसाधारण व अन्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 807–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–4–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के प्रकरण कमांक 111/अ–6/12–13 में संचालित कार्यवाहियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (1) में निम्नलिखित प्रावधान है :– "50 पुनरीक्षण–(1) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी–– (क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या (ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या (ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है, ते मण्डल या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे " उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध ही निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । तहसीलदार द्वारा की जा रही समस्त कार्यवाहियों के विरूद्ध	

निगरानी प्रस्तुत किया जाना संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के विपरीत है । संहिता की धारा 8 अधीक्षण शक्तियों से संबंधित है और इस धारा के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही अथवा पारित आदेश की वैधानिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है । आवेदक की ओर से निगरानी में जो उपचार चाहा जा रहा है वह भी संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी में प्रदान नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

24-4-14

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष